



‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ को बढ़ावा देना

प्रिलमिस के लयि

ऑनलाइन वविाद समाधान

मेन्स के लयि:

ऑनलाइन वविाद समाधान से संबंघति तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [नीति आयोग](#) (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) ने ‘आगामी और ओमदियार नेटवर्क इंडिया’ (Agami and Omidyar Network India) के साथ मलिकर ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR) को आगे बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजति की गई ।

प्रमुख बदि:

- गौरतलब है क वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरषिठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचवि, उद्योगजगत के अग्रणी लोग, कानून के वशिषज्ज और प्रमुख उद्यमयिों ने भाग लयि ।
- इस बैठक का सामान्य वषिय भारत में ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनशिचति करने के लयि सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दशिा में बहु-हतिधारक सहमतिकायम करना था ।
- ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR):
 - ऑनलाइन वविाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक वविाद समाधान (Alternate Dispute Resolution- ADR) की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर वशिष रूप से छोटे और मध्यम कस्मि के वविादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है ।
 - इस वधि में वविादों के समाधान की सुवधि के लयि सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगकियिों का उपयोग कयिा जाता है ।
 - ऑनलाइन वविाद समाधान वविादों को कुशलतापूर्वक और कफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबति हो सकता है ।
 - ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ सुवधिाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और कफायती है ।

ऑनलाइन वविाद समाधान की आवश्यकता क्यों?

- भारतीय न्यायपालकिा देश में लंबति मामलों में हो रही वृद्धिकी समस्या से जूझ रही है तथा जजों की कमी से नागरकियों को भी समय पर न्याय नहीं मलि पाता है ।
- इसके अतरिकित उच्चतम न्यायालय को भी सामान्य मामलों से मुक्तिकी ज़रूरत है ताकविह अपने संवधिान के आदर्शों को बनाए रखने के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रति कर सके ।
- न्यायालय की प्रक्रयिा आम आदमी हेतु आर्थक दृष्टि से वहनीय नहीं होती तथा सुनवाई हेतु कई बार न्यायालय में उपस्थति होने से इनकी आजीवकिा भी प्रभावति होती है ।

ऑनलाइन वविाद समाधान के लाभ:

- न्यायालय के लंबति मामलों में कमी आएगी ।
- नागरकियों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुँच सुनशिचति होगी ।
- ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ से मुकदमों को हल करने में तेज़ी आएगी तथा नागरकियों को त्वरति न्याय की प्राप्ति होगी ।
- न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्च में कमी आएगी ।
- सुवधिाजनक, सटीक, समय की बचत और लागत-बचत ।

ऑनलाइन ववाद समाधान के चुनौतियाँ:

- देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान किये बिना ऑनलाइन ववाद समाधान तंत्र के वसितार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
- भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शक्ति की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच न होना एक और बड़ी समस्या है।
- तकनीक का असमान वितरण अर्थात् सभी तक तकनीक की एक जैसी पहुँच न होना भी 'ऑनलाइन ववाद समाधान' के राह की एक अन्य बड़ी बाधा है।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई-कॉमर्स के अवसरों का असमान वितरण इस तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधति करता है।

वर्तमान परदृश्य में महत्त्व:

- COVID-19 महामारी के पश्चात् नागरिकों को न्याय तक कुशल और कफायती पहुँच उपलब्ध कराने हेतु 'ऑनलाइन ववाद समाधान' के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग कयि जा सकता है।
- COVID-19 महामारी के दौरान ODR के माध्यम से COVID-19-संबंधी ववादों (वशेष रूप से ऋण, ऋण, संपत्ति, वाणजिय और खुदरा क्षेत्र में) का निपटारा करना जो आर्थिक पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण हस्सा है।

आगे की राह:

- भवषिय में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लयि उचित उपाय कयि जाने चाहयि। यद ऐसा नहीं कयि गया तो भारत में ऑनलाइन ववाद समाधान केवल एक सदिधांत बनकर रह जाएगा।
- नागरिकों को सूचना एवं तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें प्रशक्ति करने के प्रयास कयि जाने चाहयि।
- भवषिय एक हाइबरडि मॉडल होगा जो वास्तविक और आभासी दुनयि का सबसे अच्छा संयोजन होगा। हाइबरडि सिस्टम के करयान्वयन हेतु न्याय ववितरण की पूरी प्रक्रयि को नए सरि से तैयार करना होगा।

स्रोत: पीआईबी